वन विभाग, हरियाणा सरकार

कार्यालय : उप वन संरक्षक (क्षेत्रीय), करनाल

वन कॉम्पलैक्स, नजदीक रेलवे स्टेशन, करनाल, दूरभाष/ फैक्स नं0 : 0184-2241417, E-mail : dfokarnal@yahoo.co.in

अति आवश्यक पत्र क्रमांक : 4429 दिनांक : 15/12/2021

सेवा में :— वन राजिक अधिकारी,
करनाल।

विषय :— **Diversion of 0.014 ha. of forest land for construction of change of alignment of Karnal-Munak road MDR-115 k.m 24.375 to 25.200(Balace work) in distt. Karnal, Haryana. (CM Announcement no.20626)**

File No- FP/HR/ROAD/146422/2021.

------------x------------

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध नोडल अधिकारी (एफ.सी.ए), कार्यालय : प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हरियाणा, पंचकूला द्वारा विषयांकित प्रयोक्ता एजेन्सी का प्रस्ताव इस कार्यालय में डाऊन कर दिया गया है, भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के निर्देशानुसार प्रयोक्ता एजेन्सी का प्रस्ताव इस मण्डल को डाऊन होने के पश्चात मौके का निरीक्षण करके वन संरक्षक, मध्य परिमण्डल, रोहतक के कार्यालय में भिजवाना अनिवार्य है ।

आपको प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तुत साईट प्लान की प्रति भेज कर लिखा जाता है कि **निम्नहस्ताक्षरी द्वारा भी उक्त साईट का मौका निरीक्षण 20/12/2021 को किया जाना है।** इसलिए आपको आदेश दिये जाते हैं कि आप मौके का संयुक्त निरीक्षण कर के अनुपालना रिपोर्ट निम्न मदों अनुसार तैयार करे ताकि समय रहते निम्नहस्ताक्षरी उक्त प्रस्ताव में आवश्यक कार्यवाही उपरान्त् प्रस्ताव को उच्चाधिकारियों को भेज सकें।

1. प्रस्ताव में अंकित क्षेत्र नोटिफाइड है या नहीं।
2. प्रस्तावित क्षेत्र यदि नोटिफाईड़ है तो क्या प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भारतीय वन अधिनियम 1927 एवं वन संरक्षण अधिनियम 1980 की अवहेलना तो नहीं की गई।
3. उक्त प्रस्तावित प्रस्ताव में प्रभावित होने वाला क्षेत्र मौके के अनुसार ठीक है या नहीं।
4. प्रस्तावित प्रस्ताव के क्षेत्र में वन भूमि के अतिरिक्त कोई अन्य क्षेत्र आता है या नहीं।
5. प्रस्तावित प्रस्ताव के रास्ते में वन विभाग का कोई वृक्ष एवं पौधे बाधक है या नहीं, यदि कोई वृक्ष बाधक हो तो उसकी सूची **(कंप्यूटर से टाइप करवा कर सोफ्ट व हार्ड 5 प्रतियों) में साथ संलग्न भेजी जाये।**
6. **प्रस्तावित सी0ए0 साईट भी बताई जायें, जहां पर प्रति–पूर्ति पौधारोपण किया जा सकें तथा सी0ए0 साईट की GPS Reading मौके के अनुसार भेजी जाये व मौके पर वन पट्टी अनुसार लम्बाई व चौडाई भी अंकित करके भेजी जाये। इसके अतिरिक्त सी0ए0 साईट बिना स्वीकृति के न बदलने बारे प्रमाण पत्र भी रिपोर्ट सहित इस कार्यालय में भेजा जाये।**
7. प्रस्तावित क्षेत्र आरक्षित वन क्षेत्र या वाइल्ड लाइफ सेन्चूरी के अधीन आता है या नहीं।
8. प्रस्तावित साईट व सी0ए0 साईट की GPS Reading मौके के अनुसार चैक करके भेजी जायें ताकि सी0ए0 साईट का डिजिटल मैप तैयार करवाया जा सके तथा प्रस्तावित साईट के बैंचमार्क्स फिक्स किये जायें ताकि जब निम्नहस्ताक्षरी मौके का निरीक्षण करें तो उन्हें किसी प्रकार की कठिनाई ना आयें।

उप वन संरक्षक,
करनाल।

पृ0 क्र0 :—FCA/ 4430 दिनांक :— 15/12/2021

इसकी एक प्रति Executive Engineer, Provincial Division No. 2, PWD, B&R Br., Karnal, (Haryana) को भेजकर लिखा जाता है कि आप स्वयं/ अपने प्रतिनिधि को मौके पर भेजकर निम्नहस्ताक्षरी व वन राजिक अधिकारी, करनाल के साथ मौके का संयुक्त निरीक्षण करवायें ताकि आपके प्रस्ताव में आगामी आवश्यक कार्यवाही की जा सके।

उप वन संरक्षक,
करनाल।

Scanned with CamScanner

वन विभाग, हरियाणा सरकार

कार्यालय : उप वन संरक्षक (क्षेत्रीय), करनाल

वन कॉम्पलैक्स, नजदीक रेलवे स्टेशन, करनाल, दूरभाष / फैक्स नं0 : 0184-2241417, E-mail : dfokarnal@yahoo.co.in

क्रमांक :FCA/ दिनांक :

सेवा में :— उपायुक्त महोदय,
करनाल।

विषय :— **Implementation of the provision of Forest Rights Act (FRA) in respect of the proposals for diversion of forest land for non-forest purpose.**

सन्दर्भ :— आपके कार्यालय का पत्र क्रमांक 67 / एल0पी0ए0 दिनांक 06—01—2017.

-----------x-----------

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में आपकी सेवा में सूचित किया जाता है कि जैसाकि आप द्वारा सन्दर्भांकित पत्र अनुसार चाहा गया है तदानुसार Forest Rights Act (FRA) का प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतू निम्नलिखित प्रस्ताव आपकी सेवा में भेजा जाता हैं। प्रयोक्ता एजेन्सी ने निम्न प्रस्ताव वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग हेतू स्वीकृति बारे इस मण्डल कार्यालय में प्रस्तुत किया है।

1. **Diversion of 0.014 ha. of forest land for construction of change of alignment of Karnal-Munak road MDR-115 k.m 24.375 to 25.200(Balace work) in distt. Karnal, Haryana.**

उक्त प्रस्ताव को भेजते हुये लिखा जाता है कि उक्त प्रस्ताव में आने वाली वन भूमि की स्थिति निम्न प्रकार से है :—

"The forest land proposed to be diverted is plantation area which was notified as "forest" less than 75 years prior to the 13th day of December 2005 and is located in villages having no recorded population of Scheduled Tribes, as per the Census-2001 and the Census-2011."

इसलिए आपकी सेवा में अनुरोध किया जाता है कि उक्त प्रस्ताव में Forest Rights Act (FRA) का प्रमाण पत्र जारी करने का कष्ट करें ताकि नियमानुसार प्रस्ताव को आगामी कार्यवाही हेतू भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायू परिवर्तन मंत्रालय, उत्तर क्षेत्रीय कार्यालय, चण्डीगढ़ को भेजा जा सके।

Sd/-
उप वन संरक्षक(क्षे0),
करनाल।

पृ0 क्र0 :— 4428 दिनांक :— 15/12/2021

इसकी एक प्रति Executive Engineer, Provincial Division No. 2, PWD, B&R Br., Karnal, (Haryana) को भेजकर लिखा जाता है कि आप उक्त प्रमाण पत्र को प्राप्त करके शीघ्र अति शीघ्र https://parivesh.nic.in की साईट पर ऑनलाईन अपलोड करे तथा प्रमाण पत्र की मूल प्रति को इस कार्यालय में भिजवाना सुनिश्चित करे ताकि प्रमाण पत्र को भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, उत्तर क्षेत्रीय कार्यालय, चण्डीगढ़ को आगामी कार्यवाही हेतू भेजा जा सकें।

उप वन संरक्षक(क्षे0),
करनाल।

Scanned with CamScanner